

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2016—पौष 28, शक 1937

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्र. एफ-3-13-2010-छत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. अनुसूची एक में, विद्यमान अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

1	संचालक / मुख्य महाप्रबंधक	1	1	2	प्रथम श्रेणी	37400—67000+ग्रेड वेतन 8900	संचालक का एक पद विभाग में तथा नया स्वीकृत एक पद मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने हेतु आरक्षित रहेगा.
---	------------------------------	---	---	---	-----------------	--------------------------------	---

2. अनुसूची दो में, विद्यमान अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

मत्स्योद्योग विभाग.	1. संचालक / मुख्य महाप्रबंधक	1+1	-	100%	1+1
------------------------	------------------------------	-----	---	------	-----

F-No. 3-13-2010-XXXVI.—In exercise of the powers conferred by the 3 proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Gazetted Fisheries Service Recruitment Rules, 2008, namely:—

AMENDMENTS

In said rules,—

1. In Scheduled I, for existing serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

1	Director/Chief General Manager	1	1	2	Class 1	37400- 67000+Grade pay 8900	One post of Director in the Department, and newly sanctioned one post shall be reserved to be filled from deputation in Madhya Pradesh Fisheries (Co-operative) Federation Limited, Bhopal.
---	--------------------------------------	---	---	---	------------	-----------------------------------	---

2. In Scheduled II, for existing serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

Fisheries Department	1. Director / Chief General Manager	1+1	-	100%	1+1
-------------------------	---	-----	---	------	-----

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला अजीतवार, उपसचिव.